(3)

(1)

13:43 FROM: .E. I PWD DOH. 2530431 TO:43 CIRCLE P:1

S.E. 6 II

मा.मु.म.घो.

संख्या–2454 ।।।–2/05–07(प्रा.आ.)/05 टी.सी.

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर 1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में 109(एक सौ नौ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं से संबंधित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 109 कार्यों के रूपये 14452.19 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 12938.35 लाख (एक सौ उन्तीस करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 10.90 लाख (रू0 दस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3 कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी, और प्रश्नगत योजना हेतु भूमि का कब्जा होने के बाद ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में धनराशि शासन को 31.03.06 तक समर्पित कर दी जायेगी।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में भिन्न मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता 1
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

—" छाति

(2)

(3)

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या 22 लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय 03 राज्य सेक्टर 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 64/XXVII (2)/2005 दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: 109 कार्यों की सूची।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

संख्या-2414 (1)/ III 2/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3- अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तरांचल शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

Dm-4570/2mg 21/xi

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता II एवं बाकी कार्य (ग्रह) तथा लेखा सहायक को आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 4388 / 134 ल० 05 दि० 11.11.2005

(1) प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सहायक अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा/रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि इस कार्यालय के लेखा वर्ग को।

Photo Copy Attested

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा 11/11/05

सहायक अभियन्ता I
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

शासनादेश संख्या 2454 / 111(2)/05-07(प्रा.आ.)/05टी.सी. I दिनांक 28 अक्टूबर 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	घराट (कोटद्वार) मुंडला मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	139.00	139.00	0.10
2.	कोटद्वार के अन्तर्गत ऐतां में खो नदी पर सेतु निर्माण।	80 मी0	112.90	112.90	0.10
3.	कोटद्वार के अन्तर्गत मगनपुर गुलरझाला (तेलीपाडा) मार्ग का पक्कीकरण।	3.00	43.95	43.95	0.10
4.	अल्मोडा में ग्राम सभा खरखवाल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	27.80	27.80	0.10
5.	जनपद अल्मोडा के अर्न्तगत ग्राम सभा अंगरे (पच्चीसी) को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.10
6.	अल्मोडा के अर्न्तगत ग्राम सभा छानी को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	41.70	41.70	0.10
7.	अल्मोडा के अर्न्तगत ग्राम सभा खीराकोट घोलडा(टोटा सिलिंग) व गरूडा जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण ।	7.00	97.30	97.30	0.10
8.	अल्मोडा के अर्न्तगत ग्राम सभा शैल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण ।	3.00	41.70	41.70	0.10
9.	अल्मोडा के अर्न्तगत ग्राम सभा ओखली कोटली एवं बजैल को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
10.	जनपद अल्मोडा के अर्न्तगत ग्राम सभा के अर्न्तगत ताकुला–गणनाथ मोटर मार्ग से ग्राम सभा थापला को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण ।	3.00	41.70	41.70	0.10
11.	जनपद अल्मोडा के अर्न्तगत अल्मोडा बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी. 30 में ग्राम सभा पक्षोलिया को जोडने हेतु मार्ग निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
12.	जनपद अल्मोडा में जैंठा खुरडी–शिलापानी खनोलिया बनघट मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	208.50	208.50	0.10
13.	अल्मोडा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक–ढूँगा मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
14	जनपद अल्मोडा में मोरनौली से ओंया मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00+ 40मी.सेतु	188.40	188.40	0.10
15	जनपद अल्मोडा में पातली बड–गणनाथ मोटर मार्ग का डामरीकरण।	5.00	81.21	81.21	0.10
16.	जनपद अल्मोडा में विधान सभा सल्ट के अर्न्तगत मतरौजखान– निगराली–भिक्यासैण मोटर मार्ग का विस्तार	6.00	82.56	82.56	0.10
17	जनपद अल्मोडा में जागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत धौलछीना –बराखापुर जैंती मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	139.00	139.00	0.10

Photo Copy AsMS

सहायक अभियन्ता I
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0